स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड के सभी सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

हमने सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (खाते) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस

जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करने; ऐसे निर्णय लेना और आकलन करना जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जिन्हें वित्तीय विवरणों का सत्य और स्पष्ट तथ्य प्रकट करने वाले और वस्तुतः मिथ्या जानकारी, चाहे वे धोखे से अथवा त्रुटिवश, न हो, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था को तैयार करने, और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

<u>लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी</u>

हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों और लेखांकन और लेखा परीक्षा मानक और मामले जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक हैं, को ध्यान में रखा है।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय विवरण में कोई वस्तुतः गलतबयानी की गई हैं।

लेखा परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं ताकि वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चयनित प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों की वस्तुतः गलतबयानी के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम का ऐसा मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक कंपनी की वित्तीय विवरणों की तैयारी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार करता है जो लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, जो उस स्थिति में उपयुक्त हों किंतु इस बात पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता क्या है, को तैयार करने के लिए एक सत्य और निष्पक्ष मत प्रदान करते हैं। किसी लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों के उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा दिए गए लेखा अनुमानों के औचित्य के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षा संबंधी हमारी योग्य राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

<u>योग्य राय का आधार</u>

- कंपनी ने खरीददारों से 16,34,00,000/- रूपये की राशि क वायदा अग्रिम लिया है और निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान पर सहमति व्यक्त की है। कंपनी ने अपने तुलनपत्र में इस राशि को (i) अप्रचलित परिसम्पत्तियों के तहत वित्तीय परिसम्पत्तियों के अंतर्गत ऋण शीर्ष के

तहत अपनी धारक कंपनी अर्थात पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.) को अंतर-निगमित ऋण के रूप में एकत्र किया है। दिनांक 15.11.2010 के वित्तीय समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा पी.एफ.सी. से ब्याज वसूला जाना आवश्यक है। कंपनी ने ऐसे ब्याज को अपने तुलनपत्र में अचल परिसम्पत्तियों के तहत प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य शीर्ष के तहत खरीददारों को देय और पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य के रूप में दर्शाया है। उधार की लागत के संबंध में लेखांकन मानक 16 के पैरा 11 के अनुसार, ऐसी उधारियों के अस्थायी निवेश से अर्जित किसी ब्याज आय को वहन की गई उधार लागत से घटाया जाता है। हमारी राय के अनुसार, इन उधारियों के अस्थायी निवेश से अर्जित आय से वहन की गई उधार लागत से घटाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा तर्क यह है कि इसे अन्य आय और वित्तीय व्यय शीर्ष के तहत क्रमशः लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए। अतः, लाभ एवं हानि खाते का राजस्व पक्ष 70,87,185/- (पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज) और लाभ एवं हानि खाते के व्यय पक्ष 70,87,185/- (खरीददारों को देय ब्याज) से संतुलित तरीक से व्यक्त हो जाता है। खरीददारों को देय ब्याज और पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज को राजस्व माना जाना चाहिए और लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, हमें प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के नामे में डाले गए उपयोग किए गए भाग पर ब्याज की राशि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसका सीधा संबंध परियोजना से है।

- इस कंपनी को ओडिशा राज्य में 4000 मेगा विद्युत प्लांट के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ मई 2008 में निगमित किया गया था और

इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी तक कंपनी उस विद्युत प्लांट के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में नहीं है। हमारी राय में, उस विद्युत परियोजना के निर्माण में यह एक विस्तृत विलंब है और साधारण नैमित्ति उपरी और प्रशासनिक व्यय को प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य शीर्ष के तहत परियोजना व्यय में प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। वह लागत जो अचल परिसम्पत्तियों/परियोजना को उनकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए उनके निर्माण/अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ऐसी लागत है जिससे निर्माण/अधिग्रहण न किए जाने की स्थिति में बचा नहीं जा सकेगा। अतः 33,35,109/- रूपये की राशि के प्रशासनिक व्यय को प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य शीर्ष के तहत परियोजना व्यय के बजाय लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए।

- कंपनी द्वारा खाते की बहियों को पंजीकृत कार्यालय अर्थात् प्रथम तल, "ऊर्जानिधि", 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, 110001 भारत में अनुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, यदि खाते की बहियों को पंजीकृत कार्यालय की बजाय किसी अन्य स्थान अर्थात् "दि स्टेट्समैन हाउस" पर रखा जाना अपेक्षित हो तो प्रपत्र ए.ओ.सी.-5 भरा जाना अनिवार्य है किंतु उसे नहीं भरा गया है।

<u>योग्य राय</u>

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य राय के आधार के उपरोक्त पैरा में उल्लिखित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित रीति के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं

और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य-स्थिति के तुलनपत्र और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि के संबंध में इसके लाभ एवं हानि विवरण और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के मामले में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एक सत्य और स्पष्ट मत प्रस्तुत करते हैं और लेखांकन मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हैं।

<u>अन्य मामले</u>

इस रिपोर्ट को पूरी तरह से कंपनी के सदस्यों को एक निकाय के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार तैयार किया गया है और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट की विषयवस्तु के लिए किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं।

<u>अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में</u>

- अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए, यथासंशोधित, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण "**अनुलग्नक-क**" में दिया है।

- अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:- :

- हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी;
- हमारी राय में, अपेक्षित खाते की समुचित बहियों को कानून के अनुसार रखा गया जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- इस रिपोर्ट में संबोधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं;
- हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है;
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। .
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक 'ख'** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियां (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
  - कंपनी के विरूद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

- कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके संबंध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार संबंधित मामलों पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-I और II** पर संलग्न है।

कृते दीपक गुलाटी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 007545 एन

मनप्रीत सिंह कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 506545

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: - 14.05.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क.

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सदर्भित अनुलग्नक

<u>हम रिपोर्ट करते हैं कि:</u>

- प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के अलावा, कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (i) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है; अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड(ii) लागू नहीं होता है।

- कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

- कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य किसी सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में खाते की बहियों में कटौती की गई/अर्जित राशि को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित तौर पर जमा किया है। जैसा कि हमें बताया गया, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा और उत्पाद शुल्क के संबंध में कोई देयताएं नहीं थीं। .
    - हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित राशि, उनके देय होने की तारीख से छः माह की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

    - हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आयकर, उत्पाद शुल्क और उपकर के संबंध में ऐसा कोई वास्तविक शुल्क नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकरण में जमा नहीं किया गया हो।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देयताएं हैं।

- कंपनी द्वारा अवधि के दौरान प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋणों के जरिए कोई राशि एकत्रित नहीं की गई है अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।
- वर्ष के दौरान, कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई या न ही सूचित की गई।
- यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है अतः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और देयताओं को पूरा करने के लिए धारित निवल निधि को 1:20 के अनुपात में जमा करने की अनुपालना की कोई आवश्यकता नहीं है और निधि कंपनी देयताओं को पूरा करने के लिए निधि नियमावली, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट भारमुक्त मियादी जमा के 10 प्रतिशत को बनाए रखती हैं।
- कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां कहीं लागू हो, के अनुसार किए गए हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, यथाअपेक्षित, वित्तीय विवरणों में ऐसे लेन-देन के ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।
- वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा संस्थागत बिक्री नहीं की गई है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और सी.ए.आर.ओ., 2016 के पैरा 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा इसके साथ संबंधित किन्हीं व्यक्तियों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2014

की धारा 192 के तहत कवर किया गया है, के साथ किसी नकदरहित लेन-देन में हिस्सा नहीं लिया गया है।

- कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते दीपक गुलाटी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545 एन

मनप्रीत सिंह कपूर
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 506545

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14-05-2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार, सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए हमारे द्वारा की गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशकमंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाअपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी

सहित इसके व्यापार का सुव्यवस्थित और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था, को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखा परीक्षा के संबंध में लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") और भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट समझे जाने वाले लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है। हमारे द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त

करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन और संचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतियों, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह की त्रुटि के कारण हो, के जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं। .

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो सुसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निक्षेपण को शुद्ध और उचित रूप से दर्शाती हैं;

(2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथाआवश्यक लेखबद्ध किया गया है; और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय

को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और निक्षेप की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में सुसंगत आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

सांठगांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों के अधिरोहण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के परिणामस्वरूप, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुतः मिथ्या तथ्य दिए जा सकते है और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का परियोजन इस जोखिम के अध्यधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा कि नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालना की स्थिति में कमी आ सकती है।.

राय

हमारी राय में,कंपनी में सभी भौतिक मामलों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे ।

कृते दीपक गुलाटी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545 एन

मनप्रीत सिंह कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 506545

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

<u>सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I</u>

<u>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों</u>

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखा संबंधी लेन-देन को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की ईमानदारी संबंधी विवक्षाओं सहित वित्तीय विवक्षाएं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	कंपनी में सभी लेखा लेन-देनों को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। तथापि, आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की अखंडता संबंधी वित्तीय विवक्षाएं सहित कोई विवक्षाएं नहीं हैं।
2.	क्या ऋण को चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनःसंरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

	डालने का मामला तैयार किया गया है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त की गई/प्राप्ति योग्य निधियों को उनकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा-जोखा तैयार किया गया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का उल्लेख करे।	कंपनी में प्राप्त की गई/ प्राप्त किए जाने योग्य कोई निधियां नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इन पर कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं बड़ता।

कृते दीपक गुलाटी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 007545 एन
मनप्रीत सिंह कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 506545

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: - 14.05.2019

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड के खातों की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते दीपक गुलाटी एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 007545 एन

मनप्रीत सिंह कपूर
(साझेदार)
सदस्यता संख्या . 506545

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: - 14.05.2019

यू.डी.आई.एन. संख्या:

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

विवरण	वर्गीकरण	31.03.2019 को अंत शेष	31.03.2018 को अंत शेष		31.03.2017 को अंत शेष		31.03.2016 को अंत शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	देयता	5,000.00	5,000	-	5,000	-	5,000
लाभ एवं हानि	देयता	-351.72	-352	-	-352	-	-352
प्रतिबद्धता अग्रिम	देयता	16,34,000.00	16,34,000	-	16,34,000	-	16,34,000
व्यापार प्रदेय-अन्य	देयता	472.50	473	-	-	-	-
पी.एफ.सी. को प्रदेय	देयता	5,03,993.21	4,88,714	-	4,73,526	-	4,58,088
धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./कंप	देयता	-	-	-	-	-	-

नी							
धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	देयता	43.75	44	-	-	-	-
धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	देयता	13,009.44	11,884	-	12,446	-	13,637
पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	देयता	-	-	-	-	-	-
खरीदारों को प्रदेय ब्याज	देयता	11,24,822.03	10,07,737	-	9,00,783	-	7,88,771
धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस. क्लियरिंग/गैर कंपनी	देयता	-	-	-	-	-	-
आय कर के लिए प्रावधान	देयता	-	-	-	-	-	-
भुगतेय व्यय	देयता	-	-	-	459	-	457
व्यय के लिए प्रावधान		-	-	-	-	-	76

लेखापरीक्षा शुल्क पर टी.डी.एस.		-	-	-	44	-	-
उपयोग न किए गए भाग पर ब्याज आय		70,671.85	-	-	-	-	-
प्रोदभूत ब्याज किंतु जो दीर्घकालिक ऋण पर देय नहीं है			-		-		-
संबंधित पक्षों से ऋण एवं अग्रिम			-				

कुल		**33,51,661**	**31,47,500**		**30,25,906**		**28,99,678**	
खाता	**विवरण**	**वर्गीकरण**	**31.03.2019 को अंत शेष**	**31.03.2018 को अंत शेष**		**31.03.2017 को अंत शेष**		**31.03.2016 को अंत शेष**
10 14 03	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) अन्य	परिसम्पत्तियां	6,93,854.72	6,34,591	#	5,74,859		5,02,390
10 41 11	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	परिसम्पत्तियां	16,34,000.00	16,34,000	#	16,34,000		16,34,000
10 42 54	ब्याज पर टी.डी.एस.	परिसम्पत्तियां	2,699.67	1,993	#	-		7
10 62 01	इलाहाबाद बैंकखाता-50008960211	परिसम्पत्तियां	306.62	263	#	141		2,736
10 72 33	पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	परिसम्पत्तियां	8,87,354.46	8,17,389	#	7,57,167		6,88,082
40 01 01	परामर्श संबंधी व्यय	व्यय	1,723.24	909	#	1,603		2,871

40 21 53	व्यय की प्रतिपूर्ति	व्यय	55.62	89	#	-		-
40 41 01	टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)	व्यय	1.11	0	#	-		-
40 42 52	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	व्यय	26.16	29	#	-		523
40 43 21	कार्यालय रखरखाव	व्यय	22.02	0	#	-		-
40 43 24	शासकीय आतिथ्य सत्कार	व्यय	88.61	-	#	-		-
40 43 54	आउटसोर्सिंग व्यय	व्यय	217.57	278	#	905		5,883
40 43 63	व्यावसायिक प्रभार	व्यय	406.19	566	#	832		-
40 21 51	लेखापरीक्षा शुल्क	व्यय	516.25	516	#	505		501
40 24 01	उपयोग किए गए भाग पर ब्याज व्यय	व्यय	59,422.65	56,630	#	55,363		54,629
40 24 02	उपयोग न किये गये भाग पर	व्यय	70,671.85	-	#	-		-

	ब्याज व्यय							
40 41 11	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	व्यय	-	-	#	-		-
40 41 14	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी - (रेल एवं हवाई)	व्यय	144.00	-	#	-		-
40 43 53	मुद्रण एवं स्टेशनरी	व्यय	0.20	1	#	-		-
40 61 03	बैंक प्रभार	व्यय	1.90	8	#	-		-
40 41 52	विज्ञापन व्यय- अप्रत्यक्ष	व्यय	-	-	#	-		-
40 42 54	बैठक व्यय	व्यय	28.35	-	#	-		-
40 46 04	डेबिट नोट पर कर		-	236	#	-		-
40 47 01	वाहन किराया एवं संचालन व्यय	व्यय	-	-	#	-		-
40 45 01	सुरक्षा व्यय	व्यय	-	-	#	-		-

	अन्य प्रशासनिक व्यय	व्यय	-	-	#	523		5,881
	जनशक्ति संबंधी प्रभार		-	-	#	-		2,179
	व्यय के लिए प्रावधान		-	-	#	-		-
	टी.डी.एस. (भारत सरकार द्वारा वापिसी योग्य)		-	-	#	7		1
	पूर्वावधि व्यय (निवल)		-	-	#	-		-
	आय कर रिफंड (वित्त वर्ष 2012-13)		-	-	#	-		-
	आयकर पर ब्याज		-	-	#	-		1
	विविध व्यय		40	-	#	2		-
	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी - (आवास)		10	0	0	0		0

	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी - (अन्य)		69	0	0	0		0
	कुल		**33,51,661**	**31,47,500**		**30,25,906**		**28,99,685**

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के
अनुसार तुलनपत्र

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 तक स्थिति के अनुसार
(I)	**परिसम्पत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क)प्रगति पर पूंजीगत कार्य	4	7,56,628.46	6,93,854.7
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(i)ऋण	5	16,34,000.00	16,34,000
	(ii)अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	8,87,354.46	8,17,389.3
	कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां		**32,77,982.92**	**31,45,244**
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	(i)नकदी एवं नकदी समतुल्य	7	306.62	262.64
	(ख) चालू करपरिसम्पत्तियां (निबल)	8		

			2,699.67	1,992.95
	कुलचालू परिसम्पत्तियां		**3,006.29**	**2,255.59**
	कुलपरिसम्पत्तियां		**32,80,989.21**	**31,47,499**
(II)	**इक्विटी एवं देयताएं**			
(1)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	10	(351.72)	(351.72)
	कुलइक्विटी		**4,648.28**	**4,648.28**
(2)	**देयताएं**			
(1)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	11	21,37,993.21	21,22,714
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	11,24,822.03	10,07,736
	कुलगैर-चालू देयताएं		**32,62,815.24**	**31,30,451**
(2)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	13	472.50	472.50
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	13,053.19	11,927.58
	कुलचालू देयताएं		13,525.69	12,400.08

	कुलइक्विटी एवं देयताएं		**32,80,989.21**	**31,47,499**
			-	-
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	1-4		
	वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें	1-38		

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी.सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881 **डी.आई.एन.:00795**
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
दीपक गुलाटी एवं एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545एन

(मनप्रीत सिंह कपूर)
साझेदार

सदस्यता संख्या : 506545

स्थान: नई दिल्ली

तारीख :

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी
लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि विवरण

(₹ सैकड़े में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
कुलआय (I)		**-**	**-**
व्यय			
अन्य व्यय		-	-
कुलव्यय (II)		**-**	**-**
कर पूर्व लाभ(I- II =III)		**-**	**-**
कर व्यय: (IV)			
चालू कर	16	-	-
आस्थगित कर			

		-	-
कर उपरांत निवल लाभ(III - IV = V)		**-**	**-**
अन्य विस्तृत आय (VI)		-	-
अवधि के लिए कुल विस्तृत आय(V + VI =VII)		-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII) आधारभूत और तनुकृत रूपये में (10 रूपये प्रत्येक के सममूल्य पर)	17	-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1-4

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-38

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी.सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881
डी.आई.एन.:00795955
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के

अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
दीपक गुलाटी एवं एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545एन

(मनप्रीत सिंह कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 506545
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.- यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ सैक

	विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2 को समाप्त के लि**
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	कर पूर्व निवल लाभ	-	
	समायोजन	-	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	-	

	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	-वृद्धि/(कमी) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	1,17,085.06	1,06,95
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	1
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू देयताएं	1,125.61	(561.87)
	- अन्य चालूवित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(69,965.13)	(60,22
	संदत्त कर	(706.72)	(1,98
	प्रचालन गतिविधियों से अर्जित नकद	**47,538.82**	**44,197.2**
ख.	**निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में परिवर्तन	(62,773.74)	(59,263.5
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकद	**(62,773.74)**	**(59,263.5**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	ऋण से प्राप्त	15,278.90	15,18
	नकदी एवं नकदी समतुल्य अथशेष	**15,278.90**	**15,18**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य अंतशेष (नोट सं.-7)	**43.98**	**121.81**
	को शामिल करते हुए :	**263**	**141**
	बैंकों में अधिशेष	**306.62**	**262.64**
		306.62	**26**

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी.सी. हेम्ब्रम आलोक सिंघल पी.के. सिंह
निदेशक निदेशक अध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881 डी.आई.एन.:00795955
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
दीपक गुलाटी एवं एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545एन

(मनप्रीत सिंह कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 506545
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	**5,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	राशि
<u>प्रतिधारित आय</u>	
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	(351.72)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष	-

2017-2018)	
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	(351.72)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष 2018-2019)	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	(351.72)

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी.सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881
डी.आई.एन.:00795955
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
दीपक गुलाटी एवं एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या: 007545एन

(मनप्रीत सिंह कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 506545
स्थान: नई दिल्ली

तारीख :

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट

सी.आई.एन.- यू40108डीएल2008जीओआई178409

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट

1 निगमित जानकारी

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार का एक उपक्रम, की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में दिनांक 21 मई, 2008 में निगमित किया गया था। कार्य की शुरूआत करने संबंधी प्रमाणपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2009 को जारी किया गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। यह कंपनी एकविशिष्ट कार्य संस्था है जिसका निगमन ओडिशा राज्य में 4000 मेगावाट की अतिविस्तृत (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना (परियोजना) की स्थापना के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि की अनुमति सहित कानूनी अनुमति से संबंधित मुख्य कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।

2 सामान्य

(क) निर्मिति काआधार और अनुपालना का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत और लेखांकन केप्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी

(भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड ए.एस." के रूप मेंसंदर्भित) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। ये कंपनीके प्रथम इंड ए.एस. वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2017 तक है।

कंपनी के वित्तीयविवरणों को भारतीय रूपये (आई.एन.आर.) में प्रस्तुत किया गया है जो कि इसकीकार्यकरण की मुद्रा है।

कंपनी द्वारा पहली बार अपनाए जाने के संबंध में ली गई छूटों के ब्यौरों को नोट संख्या 35 पर प्रस्तुत किया गया है।

इन वित्तीय विवरणोंमें राशि को दो दशमलव बिंदुओं के निकटतम सौ (जब तक कि दर्शाया न जाए) तक समायोजित किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों कोतैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाना और पूर्वधारणा अपेक्षित है जोवित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार राजस्व, व्यय की संसूचित राशि, परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण कोप्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानऔर अंतर्निहित पूर्वधारणा की पुनरीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। लेखाअनुमानों में संशोधन का निर्धारण उस अवधि में किया जाता है जिसमें अनुमानों कोसंशोधित किया गया हो और जिनसे कोई भावी अवधि प्रभावित होती हो।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(क आय/व्यय की मान्यता

)

आय और व्यय (नीचे दिए गए के अलावा) का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना को तैयार करने में पी.एफ.सी./पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय परामर्शी एवं पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सफल बोली लगाने वाले को कंपनी के हस्तांतरण के वर्ष में किया जाता है।

(ख

) ऋण लागत

ऋण लागत जो कि अचल परिसम्पत्तियों, जिन्हें उनकेआशयित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए काफी समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माणसे संबंधित हैं, को ऐसी अचल परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रूप में ऐसीपरिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए तैयार किए जाने की अवधि से संबंधित सीमा तकपूंजी में परिणत किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस वर्ष, जिसमें उन्हें वहन किया गया है, के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(ग) प्रगति पर पूंजीगत कार्य

भूमिअधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/मूल्यह्रास/ब्याज आदि केसंबंध में वहन किए गए व्यय और निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्ययों को पूंजी मेंपरिणत किया जाता है और उन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(g) पूर्वावधि व्यय

पूर्वावधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों में पूर्वव्यापी तरीके से पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई, में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक राशि का पुनः उल्लेख करते हुए सुधार किया जाता है।यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई

पूर्व अवधि से पहले हुई हो, तो प्रस्तुत की गई पूर्वअवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं के अथशेष और इक्विटी का पुनः उल्लेख किया जाताहै।

नकदी एवं नकदी

(h) समतुल्य

नकदी के तहत हस्तगतनकद, डिमांड डिपोजिट शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण से तीन माह या कम है) उच्चतर नकदी निवेश, जो नकदी कीनियत राशि में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जिनमें मूल्य परिवर्तनसंबंधी मामूली जोखिम हो, को नकदी समतुल्य समझती है।.

(i) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरणऐसी अप्रत्यक्ष रीति के अनुसार तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के किसी लेन-देन और विगत अथवा भावी नकद प्राप्ति अथवा भुगतान के स्थगन अथवा संग्रहण के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की प्रचालन, निवेशी और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

(j) कराधान

आयकर व्यय मेंवर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसका निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में, जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित हो जिसे ओ.सी.आई.अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, जिसके मामले में भी, कर को ओ.सी.आई. अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी मेंनिर्धारित किया जाता है, में निर्धारित किया गया है को छोड़कर, किया जाता है।

चालू कर वह कर है जिसे उस तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित और लागू कर दर का उपयोग तथाविगत वर्ष के संबंध में देय करों का समायोजन करते हुए वर्ष के लिए कराधीन आय के संबंध में भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
आस्थगित कर का निर्धारण वित्तीय विवरणों मेंपरिसम्पत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कराधीन आय की गणना में उपयोग किए गएसंगत कर के आधारों के बीच अस्थायी अंतर के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर कीगणना कानूनों के आधार पर कर दर पर की जाती है जिसे रिपोर्टिंग की तारीख कोअधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित किया गया हो। यदि चालू कर परिसम्पत्तियों औरदेयताओं को समायोजित करने का विधिक रूप से प्रवर्तित अधिकार हो तो आस्थिगत कर परिसम्पत्तियों और देयताओं को समायोजित किया जाता है।
कोई आस्थिगत कर परिसम्पत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक निर्धारितकिया जाता है जिसमें यह संभाव्य हो कि करयोग्य लाभ उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जहांतक कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर देयताओं कीपुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है इन्हें उस सीमा तक कम कियाजाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि संबंधित कर लाभों को अर्जितकिया जाएगा।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों की वहन राशि की पुनरीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक कमकिया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि वसूली की जाने वालीपरिसम्पत्तियो के सभी भागों को नियत

करनेहेतु पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध होंगे।

(k) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

i. प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमानदायित्व (विधिक अथवा निर्माण संबंधी) हो, यदि यह संभाव्य हो कि कंपनी द्वारादायित्व का निपटान अपेक्षित होगा और एक दायित्व की राशि के संबंध में एकविश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यताप्राप्त राशि, दायित्वों के जोखिमों और प्रतिवेशी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफलका बेहतरीन अनुमान है। जब कुछेक अथवा सभी आर्थिक लाभों से निपटान अपेक्षित हो, प्रावधान को तृतीय पक्ष से वसूल किया जाना आशयित हो तोकिसी प्राप्य केएक परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वस्तुतः यह निश्चित हो किप्रतिपूर्ति की जाएगी और प्राप्य की राशि का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप सेकिया जा सकता है।

ii. जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप सेनहीं लगाया जा सकता, दायित्व को आकस्मिक देयताओं के रूप में लेखा की टिप्पणियोंमें प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना कम न हो।

iii. आकस्मिकपरिसंपत्तियों के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हेंउस स्थिति में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलन पत्रकी तारीख को इनकी पुनरीक्षा की जाती है और

वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शानेके लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

(I) वित्तीय लिखत

वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को उस स्थित में मान्यता दी जाती है जब कंपनीवित्तीय लिखत के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देयताओं को उचितमूल्य जमा/घटा लेन-देन की लागत, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओंके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित है, को मान्यता दी जाती है। वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचितमूल्य पर निर्धारित किया जाता है, के मामले में, इनकी लेन-देन लागत को लाभ एवंहानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

I.1 वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी नियमित रीति की खरीदऔर बिक्री का निर्धारण और गैर-निर्धारण निपटान तारीख के आधार पर किया जाताहै।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियों को या तो परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य परउनकी समग्रता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर मूल्यांकितकिया जाता है।

i) वित्तीयपरिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन (इक्विटी लिखत को छोड़कर)

क)परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियोंको प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर.) काउपयोग करते हुए, तदोपरांत परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है:

• परिसम्पत्ति का धारण किसी ऐसे व्यापार मॉडल में किया जाता हो जिसका उद्देश्यसंविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों को धारित करनाहो; और
• परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) है, का सृजन करती हैं
ख) अन्य विस्तृत आयके माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)
किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर किया जाता है यदिनिम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:
• व्यापार मॉडल के उद्देश्य की प्राप्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहणऔर वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय दोनों से होती है; और
• परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) हैं, में वृद्धि करती हो।
ग) लाभ अथवा हानि केमाध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)
किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.पी.एल. पर किया जाता है जब तककि इसे लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथपरिशोधित लागत अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर मूल्यांकित नहीं किया

जाता है।

ii) **वित्तीयपरिसम्पत्तियों का विकृत होना**

क) आरम्भिक मान्यता होने पर, कंपनी परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीयपरिसम्पत्तियों के संबंध में आशयित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल.) को मान्यता देती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों, ऋण परिसम्पत्तियों को छोड़कर, के संबंध मेंई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन आशयित हानि के बराबर राशि पर किया जाता है।

इस बात को छोड़कर कि ई.सी.एल. को अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती हैऔर तुलनपत्र की वहन राशि में से घटाया नहीं गया है, ई.सी.एल. के निर्धारण औरमूल्यांकन के लिए विकृत अपेक्षाओं को समान रूप से एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर ऋणपरिसम्पत्तियों के संबंध में लागू किया जाता है।

ख) ऋण परिसम्पत्तियोंका विकृत होना तथा आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) के तहत प्रतिबद्धताएं:

कंपनी ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में ई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन ई.सी.एल.के बराबर राशि पर करती है यदि आरम्भिक मान्यता के बाद से, कोई क्रेडिट विकृतिहो अथवा क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एस.आई.सी.आर.) हुई हो। यदिआरम्भिक निर्धारण की तुलना में कोई एस.आई.सी.आर. नहीं है, तो कंपनी ई.सी.एल. कामूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. के बराबर राशि पर करती है। जब आरम्भिक निर्धारण केबाद से किसी

एस.आई.सी.आर. की संभावना के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, कंपनीऐसी संगत और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो बिना किसी अनुचित लागत अथवाप्रयास के उपलब्ध हो। यदि कंपनी ने विगत अवधि में हानि भत्ते को आजीवन ई.सी.एल.के रूप में मूल्यांकित किया था, किंतु अनुवर्ती अवधि में यह निर्धारित करती हैकि क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण आरम्भिक निर्धारण में कोई एस.आई.सी.आर.नहीं है, तो कंपनी द्वारा पुनः हानि भत्ते का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. आधारपर किया जाता है। क्रेडिट विकृत ऋण परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन व्यक्तिगत आधारपर किया जाता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए इसका मूल्यांकन सामान्यतःएकसमान समूहों को उपयोग करते हुए संग्रहण आधार पर किया जाता है।

ग) विकृत हानियों औरवापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

iii) **वित्तीयपरिसम्पत्तियों का अमान्यता**

कंपनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का अमान्यता तब करती है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब यह वित्तीय परिसम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के सभी वास्तविक जोखिमों और प्रतिफलों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का उसकी समग्रता में अनिर्धारण, परिसम्पत्ति की वहन राशि और प्राप्त तथा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर और समग्र लाभ अथवा हानि जिसे अन्य विस्तृत आय में निर्धारित किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था का निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में

किया जाता है यदि ऐसे लाभ अथवा हानि को अन्यथा- उस वित्तीय परिसम्पत्ति के निष्पादान के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारण किया गया हो।

I.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिवेटिव्स औरवित्तीय गारंटी संविदाओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दरपद्धति (ई.आई.आर.) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाताहै।

ई.आई.आर. का निर्धारण वित्तीय देयताओं के आरम्भिक मान्यता के समय किया जाता है। तदुपरांत, ई.आई.आर. को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार, संबंधित रीसेट तारीख को अस्थिर ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाता है।

ii) वित्तीय देयताओं का गैर-मान्यता: कंपनी वित्तीय देयताओं को गैर-मान्यता केवल तब करती है जब कंपनी केदायित्वों का निष्पादन हो गया हो, रद्द हो गये हों अथवा समाप्त हो गए हों।वित्तीय देयताओं की वहन राशि और प्रदत्त और प्रदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभएवं हानि विवरण में निर्धारित किया जाता है।

(m) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय कीगणना, करके उपरांत निवल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना कर उपरांतलाभ को प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या और उनक इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिन्हें सभी तनुकृत

संभाव्यइक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किया गया, से भाग देते हुए की जातीहै।

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी
लिमिडेट
(सी.आई.एन.- यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

4 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ सै

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल तक स्थि अनु
प्रगति पर पूंजीगत कार्य अधिशेष	6,93,854.72	6,34,591.21	6,34,59
जोड़े: निर्माण अवधि के दौरान व्ययसे अंतरित (नोट सं.-15)	62,773.74	59,263.51	-
	7,56,628.46	**6,93,854.72**	**6,34,59**

5.ऋण(गैर चालू)

(₹ सै

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल तक स्थि अनु

<u>अप्रतिभूत, उचित समझी गई(परिशोधित लागत पर)</u> संबंधित पक्षों को ऋण (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड)	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,0
	16,34,000.00	**16,34,000.00**	**16,34,0**

6 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(₹ सै

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल तक स्थि अनु
परिशोधित लागत पर लाई गई प्रोदभूत ब्याज किंतु जो संबंधित पक्ष से देय नहीं है (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड)	8,87,354.46	8,17,389.33	7,57,16
	8,87,354.46	**8,17,389.33**	**7,57,16**

7 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ सै

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल तक स्थि अनु

बैंकों में अधिशेष चालू खातों में	306.62	262.64	140.83
	306.62	**262.64**	**140.83**

8 चालू करपरिसम्पत्तियां (निवल) (₹ सै

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल तक स्थि अनु**
-			
प्राप्तियोग्य टीडीएस	2,699.67	1,992.95	6.91
	2,699.67	**1,992.95**	**6.91**

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट (सी.आई.एन.- यू40108डीएल2008जीओआई178409)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

(₹ सैकड़े में)

9 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
अधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की	5,000.00	5,000.00	5,000.00

स्थिति के अनुसार: 50,000)			
निर्गत, सब्सक्राईब और संदत्त पूंजी में शामिल: प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**

(i) वर्ष के आरम्भ और अंत मेंबकाया शेयरों की संख्या का समामेलन:

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**		**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	
	धारित शेयरों की संख्या	**राशि**	**धारित शेयरों की संख्या**	**राशि**

वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयर से संबद्ध अधिकार,
प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास 10 रूपये प्रति शेयर सम मूल्य के इक्विटी शेयरों कीएक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट देनेका पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले कोछोड़कर, आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।सम्पत्ति के मामले में, इक्विटीशेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसम्पत्तियोंको उनके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार हैं।

(iii) धारक कंपनी द्वारा

धारित इक्विटी शेयरों
का विवरण

विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येकशेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

विवरण	**31 मार्च, 2019**	**31 मार्च, 2018**	**1**

	तक की स्थिति के अनुसार		तक की स्थिति के अनुसार		अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर						
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा और इसके नामितियों के

माध्यम से धारित हैं.

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

10 अन्य इक्विटी

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार**
<u>प्रतिधारित आय</u> वर्ष के आरम्भ में अधिशेष	(351.72)	(351.72)
वर्ष के अंत में अधिशेष	**(351.72)**	**(351.72)**

11 ऋण (गैर चालू)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार**

अप्रतिभूतपरिशोधित लागत पर लाई गई संबंधित पक्षों से ऋण		
(पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी)	5,03,993.21	4,88,714.3
प्रतिबद्धता अग्रिम	16,34,000.00	16,34,000.
	21,37,993.21	**21,22,714.**

ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तेः कंपनी को सफल बोली लगाने वाले को अंतरण की की अवधि के भीतर पुनर्भुगतान

12 अन्य वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार**
परिशोधित लागत पर		
प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	11,24,822.03	10,07,736.
	11,24,822.03	**10,07,736.**

13 अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

विवरण	**31 मार्च,**	**31 मार्च,**

	2019 तक की स्थिति के अनुसार	2018 तक स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
देय व्यय	472.50	472.50
	472.50	**472.50**

14 अन्य चालू देयताएं

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार**
सांविधिक देय	13,053.19	11,927.58
	13,053.19	**11,927.58**

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

15 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्श प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क	1,723.24	909.23
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	432.35	595.10
टूर एवं ट्रैवलिंग	223.63	-
लेखापरीक्षा शुल्क	516.25	516.25
अन्य प्रशासनिक व्यय	455.62	613.15
उप-योग (क)	**3,351.09**	**2,633.73**
<u>ब्याज व्यय</u>		
उपयोग किया गया	59,422.65	56,629.78
उपयोग न किया गया	70,671.85	62,208.00

घटाएं: उपयोग न किये गयेभाग परपी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	(70,671.85)	(62,208.00)
उप-योग (ख)	59,422.65	56,629.78
कुलव्यय (नोट 4 में अंतरित)	**62,773.74**	**59,263.51**

16 आयकर

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	-	-
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	-	-
चालू वर्ष में मान्यताप्राप्त कुल आयकर व्यय	**-**	**-**
वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखा प्रोफाइल के साथ निम्नानुसार समामेलित किया जा सकता है।:		
कर पूर्व लाभ	-	-
लागू कर दर	26.00%	25.75%
संगणित कर व्यय	-	-
लाभ अथवा हानि में मान्यताप्राप्त आयकर व्यय	**-**	**-**

17 प्रति शेयर आय (₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
शेयरधारकों से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर उपरांत निवल लाभ/(हानि)	-	-
आधारभूत ई.पी.एस. की गणना के लिए सूचक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय	-	-
कंपनी द्वारा कोई तनुकृत लिखत जारी नहीं की गई		

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर
कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल200
8जीओआई17840
9)
31 मार्च, 2019 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय
विवरणों के संबंध में नोट

18.
वित्तीय
लिखत

(1) पूंजी
प्रबंधन
कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि यह ओडिसा राज्य में 4000 मेगा वाट की अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण संबंधी पूंजी अपेक्षाओं और पर्यावरण, वन इत्यादि की अनुमति सहित सांविधिक अनुमति से संबंधित मुख्य कार्य संबंधी व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। कंपनी अपने प्रचालनों के लिए वित्तपोषण प्रतिवद्धता अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि के माध्यम से करती है।
कंपनी बाह्य रूप से अधिरोपित किन्हीं पूंजी अपेक्षाओं के अध्यधीन नहीं है।
कंपनी का बोर्ड कंपनी की पूंजी संरचना की पुनरीक्षा आवश्यकता के

आधार पर करता है। निधि संबंधी अपेक्षाओं को ऋणों और अग्रिमों के मिश्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रत्याशित निधियन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी की नीति लघु-अवधि और दीर्घावधि ऋणों के उपयोग करने की है।

(i) वित्तीय लिखत की श्रेणियां

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लेखबद्ध की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां			
नकदी एवं बैंक अधिशेष	306.62	262.64	140.83
ऋण	16,34,000.0	16,34,000.0	16,34,000.

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	0	0	00
	8,87,354.46	8,17,389.33	7,57,166.88
वित्तीय देयताएं			
ऋण	21,37,993.21	21,22,714.31	21,07,526.19

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कंपनी का कोरपोरेट राजस्व प्रभाग, जोखिमों के मात्रा और आकार के अनुसार संवदेनशीलता का विश्लेषण करते हुए, कंपनी के प्रचालनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंध करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और सम्पत्ति जोखिम शामिल होतें हैं।

(iii) बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियां इसे मुख्य रूप से ब्याज दर में परिवर्तन के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

बाजार जोखिम संवेदनशीलता का मूल्यांकन संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाता है।

बाजार जोखिमों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता अथवा उस रीति, जिसके माध्यम से इन जोखिमों का प्रबंधन और मूल्यांकन किया जा रहा है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।.

(iv) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह राज्य

क्षेत्रउधारकर्ताओं (श्रेणी क) की श्रेणी के तहत समय-समय पर यथानिर्धारित ब्याज दर (अस्थिर ब्याज दर) पर निधियां उधार लेती है। .

वित्तीय परिसम्पत्तियों औऱ वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्याज दर के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण इस नोट के सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है।

(v) ब्याज दर

संवेदनशीलता

विश्लेषण

नीचे दिए गया संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय लिखत के लिए ब्याज दर के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। अस्थिर दर वाली देयताओं के लिए, विश्लेषण, वित्त वर्ष के अंतमें बकाया देयताओं की राशि को मानते हुए तैयार किया गया है जोकि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बकाया थीं।. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को आंतरिक रूप से ब्याज दर जोखिम की सूचना देने और ब्याज दरों में सुसंगत संभाव्य परिवर्तनों का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए एक 50 बेसिस प्वाईंट वृद्धि अथवाकमी का उपयोग किया गया है।

ब्याज में 50 बेसिसप्वाईंट के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और सभी अन्य परिवर्ती कारकों को स्थिर रखा गया था जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**

	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
लाभ अथवा हानि के लिए प्रभाव	-	-
अन्य विस्तृत आय के लिए प्रभाव	-	-

चालू वर्ष के दौरान, ब्याज दरों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता में कमी मुख्य रूप से अस्थिर दर के ऋण से स्थिर दर के ऋण में परिवर्तित करने के लिए अस्थिर दर के ऋण लिखत में कटौती और ब्याज दरों में वृद्धि के परिवर्तन के कारण हुई।

(vi) अन्य

मूल्य संबंधी जोखिम

कंपनी किसी भी मूल्य संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है क्योंकि इसका कोई निवेश नहीं है।

(vii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जब प्रतिपक्ष द्वारा उसके संविदात्मक दायित्वों में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो।

नोट संख्या 5 में यथाउल्लिखित, पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ऋण के अधिशेष के कारण कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को सीमित किया है। कंपनी का कोई व्यापार प्राप्ति योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राप्ति योग्य ऋण इसकी धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) से है।

एक प्रख्यात और विश्वसनीय बैंकिंग स्थान के साथ कंपनी का बैंक अधिशेष होने के परिणामस्वरूप प्रतिपक्षों से क्रेडिट जोखिम सीमित हो जाता है।

(viii)सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन

कंपनी, पर्याप्त आरक्षिती के रखरखाव और अनुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाईल का मिलान करते हुए सम्पत्ति जोखिम का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2019तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं

(₹ सैकड़े में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक	देय की तारीख विनिर्दि	कुल संविदागत

				के लिए देय	**ष्ट नहीं**	**मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	21,37,993.21	-	-	-	21,37,993.21	21,37,993.21
अन्य वित्तीय देयताएं	11,25,294.53	472.50	-	-	11,24,822.03	11,25,294.53

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	21,22,714.	-	-	-	21,22,714.3	21,22,714.

	31				1	31
अन्य वित्तीय देयताएं	10,08,209.47	472.50	-	-	10,07,736.97	10,08,209.47

01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	21,07,526.19	-	-	-	21,07,526.19	21,07,526.19
अन्य वित्तीय देयताएं	9,01,241.91	459.38	-	-	9,00,782.53	9,01,241.91

31 मार्च, 2019तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए

गए हैं::

(₹ सैकड़े में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	16,34,000.00	-	-	-	16,34,000.00	16,34,000.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8,87,354.46	-	-	-	8,87,354.46	8,87,354.46

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण						

	16,34,000.00	-	-	-	16,34,000.00	16,34,000.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8,17,389.33	-	-	-	8,17,389.33	8,17,389.33

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
ऋण	16,34,000.00	-	-	-	16,34,000.00	16,34,000.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7,57,166.88	-	-	-	7,57,166.88	7,57,166.88

(xi) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्यजिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	उचित मूल्य अनुक्रम	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018तक की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी एवं नकदी समतुल्य	स्तर 3	306.62	306.62	262.64	262.64	140.83	140.83
ऋण	स्तर 3	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,000.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	स्तर 3	8,87,354.46	8,87,354.46	8,17,389.33	8,17,389.33	7,57,166.88	7,57,166.88
वित्तीय							

देयताएं							
ऋण	स्तर 3	21,37,993.21	21,37,993.21	21,22,714.31	21,22,714.31	21,07,526.19	21,07,526.19
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	11,25,294.53	11,25,294.53	10,08,209.47	10,08,209.47	9,01,241.91	9,01,241.91

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त वहन राशि के सन्निकट है। वर्ष में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ था।इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित की गईवित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के सुसंगत सन्निकट है चूंकि कंपनी यह प्रत्याशा नहीं करती है कि वहन मूल्य अंततः प्राप्त और निपटाए गए मूल्य से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होंगे।

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओआई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट

19. संबंधित पक्षों से लेन-देन का विवरण

19.1. संबंधित पक्षों का नाम एवं संबंधों का विवरण :

क्रम सं.	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
6	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटड पावर कंपनी लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
9	तटिय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
10	देवगढ़ मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था

11	ओडिशा इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
12	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
13	देवगढ़ इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
14	बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
15	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
16	झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शांगतोंग कर्चम – वांगतू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बिजावाड-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
24	लकड़िया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
25	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
26	भुज- II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के

		तहत उद्यम
27	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर तैनात किए गए हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यावधि समाप्ति की तारीख
1	श्री धनबालन रवि	अध्यक्ष	28-12-2016	04-06-2018
2	श्री पी.के. सिंह	अध्यक्ष	04-06-2018	कार्यरत
3	श्री आलोक सिंघल	निदेशक	16-09-2016	कार्यरत
4	श्रीयोगेश जुनेजा	निदेशक	18-10-2017	16-01-2019
5	श्री पी.सी. हेम्ब्रम	निदेशक	16-01-2019	कार्यरत

19.2. लेन-देन का विवरण:

19.2.1. संबंधित पक्ष से लेन-देन

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31मार्च, 2019	31मार्च, 2018

	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
<u>पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी</u> उपयोग न किये गये भाग पर पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	70,671.85	62,208.00
प्राप्त किए गए ऋण (निवल)	15,279.00	15,188.00

19.2.2. संबंधित पक्षों के साथ बकाया अधिशेष:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तककी स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी</u> ऋण	5,03,993.21	4,88,714.31	4,73,526.19

दिया गया ऋण	16,34,000.00	16,34,000.00	16,34,000.00
प्राप्ति योग्य/प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं है	8,87,354.46	8,17,389.33	7,57,166.88

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारितोषिक:

कंपनी के कर्माचारी, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए समझौते के अनुसार संविदात्मक शर्तों के आधार पर है। निदेशकों को किसी भी बैठक शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड
पावर कंपनी लिमिडेट
(सी.आई.एन.-
यू40108डीएल2008जीओ
आई178409)
31 मार्च, 2019 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय
विवरणों के संबंध में नोट

20. विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में परियोजना पूरी हो जाने पर संबंधित खरीदार और बोली लगाने वाले के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से विद्युत के विनिर्दिष्ट कोटे के आवंटन के लिए उनके अंशदान के रूप में कंपनी को पावर खरीद उपयोज्यता (खरीदारों) से40,00,000.00/- (सैकड़े में) रुपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। 16,34,000.00/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 16,34,000.00/- रूपये (सैकड़े में)) की राशि खरीदारों से प्राप्त हो गई है और असम (1,20,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), दिल्ली (1,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), जम्मू एवं कश्मीर (75,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), नागालैण्ड (50,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), ओडिशा (20,00,000.00/- रूपये (सैकड़े में)) और पंजाब (1,20,000.00/- रूपये (सैकड़े में)) राज्य से 23,66,000.00/- रूपये (सैकड़े में) से प्राप्त होना है। प्राप्त किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन पत्र में ऋण (गैर चालू) के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी प्राप्त किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज भुगतान

करने की किसी प्रतिबद्धता के अधीन नहीं है तथापि, कंपनी/धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इन प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज प्रदान किया गया है। वित्तीय समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रोदभूत ब्याज सहित उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम, धारक कंपनी द्वारा कंपनी के सफल बोली दाता को अंतरण की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय होगा।

21. पी.एफ.सी. लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार, खरीदारों से प्राप्त 16,34,000.00/- रूपये (सैकड़े में) के कुलप्रतिबद्धता अग्रिम को कंपनी की ओर से परियोजना के व्ययों को भुगतान करने और प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग न किए गए शेष भाग को अल्पकालिक ऋण के रूप में निवेश/प्रतिधारित करने के लिए धारक कंपनी (पी.एफ.सी. लिमिटेड) के पास जमा किया गया है तथा धारक कंपनी के पास जमा की गई राशि को तुलनपत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में और अग्रिमों और उन पर देय ब्याज को तुलनपत्र में अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है। आज की तारीख तक पी.एफ.सी. द्वारा वहन किए गए व्यय को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत पूंजीकृत किया गया है।

22. कंपनी, कंपनी की ओर से उसके द्वारा वहन किए गए व्यय के संबंध में पी.एफ.सी. लिमिटेड को और परियोजना के लिए उपयोग की गई निधि को प्रतिबद्धता अग्रिम के बंटवारे और उपयोग न की गई निधियों के संबंध में खरीदारों को धारक कंपनी की नीति के अनुसार दरों पर ब्याज का भुगतान करने पर सहमत है। उपयोग की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किया गया ब्याज समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार श्रेणी में राज्य सेक्टर लेनदार श्रेणी 'क' के तहत लेनदारों के लिए परियोजना ऋण/स्कीमों के लिए पीएफसी में लागू है और उपयोग

न की गई निधियों के भाग पर, ब्याज की प्राप्ति/भुगतान "पी.एफ.सी.लिमिटेड के मासिक औसत अल्पकालिक जमा दरों" पर किया जाता है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पी.एफ.सी. लिमिटेड से प्राप्ति योग्य है और यह खरीदारों को देय है। 1,30,090.99/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 1,18,838.16/- रूपये) की कुल राशि के ब्याज व्यय का लेखा-जोखा वर्ष के लिए लेखा बहियों में दिया गया है जिसमें उपयोग न की गई राशि पर 70,671.99/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 62,208.59/- (सैकड़े में)) का ब्याज और उपयोग की गई राशि पर 59,419.00/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 56,629.78/- (सैकड़े में)) का ब्याज शामिल है। उपयोग की गई राशि पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है।प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग किए गए भाग पर ब्याज की राशि सफल बोलीदाता से वसूलीयोग्य होगी। भुगतेय ब्याज को अन्य दीर्घकालिक देयताओं के तहत दर्शाया गया है।

23. परियोजना स्थापित करने की स्कीम के अनुसार, परियोजना का पता लगाने और आरंभिक कार्य के लिए कंपनी द्वारा वहन किया जाना वाला पूरा खर्च, जिसमें लगाई गई निधियों पर ब्याज और 50,00,000.00/- रूपये (सेकड़े में) का व्यावसायिक शुल्क और लागू कर शामिल है, परियोजना के बोली दाता से वसूल किया जाएगा जो कंपनी द्वारा अपनी धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) से 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग की खरीद के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में होगा जिसके बाद कंपनी इसकी पूरी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ किए जाने वाले शेयर खरीद करार के अनुसार ऐसी बोली लगाने वालों को अंतरित हो जाएगी। धारक कंपनी द्वारा कंपनी के शेयर, परियोजना की सफल सफल बोली लगाने बाले को, बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अंतरित कर दिए जाएंगे। सफल बोली लगाने वाले द्वारा कंपनी की 100% इक्विटी

शेयरधारिता की खरीद और कंपनियों की सभी परिसम्पत्तियों और देयताओँ पर अधिकार करने के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में भुगतेय प्रतिफल की राशि बहीमूल्य के बराबर होगी।

24. कंपनी, पीएफसी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली सलाह और की गई व्यवसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में पीएफसी लिमिटेड को 50,00,000.00/- (सैकड़े में) की राशि के साथ-साथ लागू करों का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। सलाह और व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए शुल्क पीएफसी लिमिटेड को उसी स्थिति में भुगतान किया जाना है जब परियोजना के लिए सफल बोली दाता का चयन कर लिया जाएगा और कंपनी सफल बोली दाता को अंतरित कर दी जाएगी, इसलिए पीएफसी लिमिटेड/पीएफसीसीएल को भुगतेय शुल्क के लिए किसी प्रकार की देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का अंतरण होने पर इसे सफल बोली दाता को कंपनी का अंतरण किए जाने के वर्ष में वसूल लिया जाएगा।
25. धारक कंपनी द्वारा कंपनी के शेयर, परियोजना की सफल सफल बोली लगाने बाले को, बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अंतरित कर दिए जाएंगे। सफल बोली लगाने वाले द्वारा कंपनी की 100% इक्विटी शेयरधारिता की खरीद और कंपनियों की सभी परिसम्पत्तियों और देयताओँ पर अधिकार करने के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में भुगतेय प्रतिफल की राशि बहीमूल्य के बराबर होगी।
26. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय, मुख्य रूप से पी.एफ.सी.एल./पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा एसपीवी को इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन के अनुसार आवंटित किए जाते हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल

समर्थनकारी बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास होती हैं पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन व्ययों पर लागू स्रोत पर कटौती और जीएसटी से जुड़े सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।

27. वर्ष के दौरान वहन किए गए अन्य व्यय (नोट) को पूंजीकृत किया गया है और प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

28. कर्मचारी लाभ योजना

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है , अतः इंड ए.एस.-19 के अनुसार दायित्व लागू नहीं होते हैं।

29. प्रतिबद्धताएं:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
(क) पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल): अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-

	-	-	-

(₹ सैकड़े में)

30. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
कंपनी की आकस्मिक देयताएं और कंपनी के विरूद्ध दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जैसा की अवधि के लिए प्रबंधन ने प्रमाणित किया है। इसके अलावा, कंपनी को कोई आकस्मिक परिसम्पत्तियां और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है।	- -	- -	- -

31.कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम") के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय का विवरण,:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्ति कर्ता को अदत्त मूल राशि और उन पर देय ब्याज का शेष	-	-	-
(ख) लेखांकन अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकरता को भुगतान की गई राशि सहित एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि	-	-	-
(ग) भुगतान में की गई देरी की अवधि के लिए देय और भुगतेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद	-	-	-

किया गया) किंतु एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना			
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-
(ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से, अनुवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक जिसे उपरोक्त देय ब्याज को लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान कर दिया गया, देय और भुगतेय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-	-

32. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
सांविधिक लेखा परीक्षा	516.25	516.25

33. खंडीय जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल जिसे प्रचालन संबंधी प्रमुख नीति नियंता (सी ओ डी एस) माना जाता है कंपनी के निष्पादन का आकलन करता है और कंपनी के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में यह विद्युत संयंत्र स्थापित करने में संलग्न है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती हैं इसके अतिरिक्त कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं इसलिए इंड एस 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार कंपनी द्वारा अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई खंड नहीं है

34. अन्य प्रकटन:

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय-

शून्य

(ख) विदेशी विनियम में

आय- शून्य

35. इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख को, कंपनी ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार लागत समझे जाने वाले पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसार संपत्ति, प्लांट औऱ उपकरण के वहन मूल्य पर विचार किया है।

36. कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू जी ए पी पी के अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 'ए एस' शामिल है। वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उपयोग कंपनी के प्रथम इंड ए.एस. विवरणों को तैयार करने के लिए किया जाता है।

37. प्रथम बार इंड ए.एस.
को अपनाए जाने का
समामेलन: -

37.1 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018
तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र पर
इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव: -

(₹ सैकड़े में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017			31 मार्च, 2018		
	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
परिसम्पत्तियां						
गैर-चालू परिसम्पत्तियां						
(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	6,34,591.21	-	6,34,591.21	6,93,854.72	-	6,93,854.72
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) ऋण	16,34,000.00	-	16,34,000.00	16,34,000.00	-	16,34,000.00
(ii)अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7,57,166.88	-	7,57,1	8,17,3	-	8,17,389.33

			66.88	89.33		
कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां	30,25,758.09		30,25,758.09	31,45,244.05		31,45,244.05
चालू परिसम्पत्तियां						
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	140.83	-	140.83	262.64	-	262.64
(ख) चालू करपरिसम्पत्तियां (निवल)	6.91	-	6.91	1,992.95	-	1,992.95
कुलचालू परिसम्पत्तियां	147.74	-	147.74	2,255.59	-	2,255.59
कुलपरिसम्पत्तियां	**30,25,905.83**	**-**	**30,25,905.83**	**31,47,499.64**	**-**	**31,47,499.64**
इक्विटी एवं देयताएं						
इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	(351.72)	-	(351.72)	(351.72)	-	(351.72)

कुलइक्विटी	**4,648.28**	-	**4,648.28**	**4,648.28**	-	**4,648.28**
देयताएं						
गैर-चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	21,07,526.19	-	21,07,526.19	21,22,714.31	-	21,22,714.31
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	9,00,782.53	-	9,00,782.53	10,07,736.97	-	10,07,736.97
कुलगैर-चालू देयताएं	**30,08,308.72**	-	**30,08,308.72**	**31,30,451.28**	-	**31,30,451.28**
चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	459.38	-	459.38	472.50	-	472.50
(ख) अन्य चालू देयताएं	12,489.45	-	12,489.45	11,927.58	-	11,927.58
कुलचालू देयताएं	12,948.83	-	12,948.83	12,400.08	-	12,400.08

कुलइक्विटी एवं देयताएं	**30,25,905.83**	-	**30,25,905.83**	**31,47,499.64**	-	**31,47,499.64**

37.2 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

(₹ सैकड़े में)

विवरण	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
कुल राजस्व (I)	-	-	-
व्यय			
अन्य व्यय	-	-	-
कुलव्यय ((II)	-	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)	-	-	-
कर व्यय:			
(1) चालू कर	-	-	-
(2) आस्थगित कर	-	-	-
कुलकर व्यय	-	-	-

अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-

37.3 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी पर इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव: -

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
आई.जी.ए.ए.पी. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	(351.72)	(351.72)
इंड ए.एस.समायोजन:		
पूर्वावधि समायोजन	-	-
इक्विटी पर कुल प्रभाव	-	-
इंड ए.एस. के तहत यथासंसूचित अन्य	(351.72)	(351.72)

इक्विटी		

37.4 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.**	**समायोजन**	**इंड ए.एस.**
प्रचालन गतिविधियो से निवल नकदी प्रवाह	44,197.20	-	44,197.20
निवेशी गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद	(59,263.51)	-	(59,263.51)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह	15,188.12	-	15,188.12
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	121.81	-	121.81
जोड़े: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	140.83	-	140.83
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	262.64	-	262.64

38. वित्तीय विवरणों का

अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और ..... को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए
और उन्हीं की ओर से

पी.सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881
डी.आई.एन.:00795955
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख
की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से
उन्हीं के लिए
दीपक गुलाटी एवं
एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या:
007545एन

(मनप्रीत सिंह कपूर)

साझेदार

सदस्यता संख्या :
506545

स्थान: नई दिल्ली

तारीख :